



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सैल) Corporate Tax (GST CELL)

CIN: U40101UP2004SGC028687

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, रैक्स- 8270, 8257

IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001. E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं०: 01/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सैल/2017-18

दिनांक: 10.07.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०

मुख्य अभियन्ता (डी०एण्डपी०)/765कै०वी०/
सी० एण्ड सी०/सी०एम०यू०टी०/जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा

विषय:- जी०एस०टी० से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से जी०एस०टी० लागू हो गया है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशानिर्देश अनुपालन हेतु जारी किये जाते हैं :-

1- जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन : उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० का केन्द्रीय स्तर पर जी०एस०टी० नं० प्राप्त कर लिया गया है जो इस प्रकार है : **09AAACU8823E1Z9**। केन्द्रीय स्तर पर प्राप्त किये गये जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन का उपयोग इकाईयों/खण्डों द्वारा किया जाना है। इकाई/खण्ड स्तर से जी०एस०टी० से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाना है। यदि किसी इकाई/खण्ड द्वारा जी०एस०टी० में कोई भी अन्य रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है तो उसे तत्काल निरस्त कराते हुए जी०एस०टी० सैल को सूचित करें।

2- Store Centre: सभी इकाईयों अपने सभी Store Centres की विस्तृत जानकारी यथाशीघ्र मुख्यालय के जी०एस०टी० सैल को उपलब्ध करवा दें जिससे जी०एस०टी० पोर्टल पर इन सेन्टर्स को Additional Place of Business में जोड़ा जा सके। ऐसा करना अनिवार्य है अन्यथा जो भी Site/Store Centres GST Portal पर जुड़ने से छूट जाएंगे, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा लेन-देन जी०एस०टी० नियमों के अन्तर्गत अवैध माना जाएगा। जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन लेते समय मुख्यालय को Principle Place of Business दिखाया गया है एवं समस्त खण्डों को Additional Place of Business दर्शाया गया है जिसकी सूची परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से प्राप्त की गई थी। यदि कोई नयी इकाई/खण्ड रजिस्ट्रेशन के पश्चात खोला गया हो तो उसकी सूचना नयी इकाई के खुलने के 20 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में जी०एस०टी० सैल में परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करें जिससे उन खण्डों को भी Additional Place of Business में जोड़ा जा सके।

3- जी0एस0टी0 के दायरे में आने वाले संव्यवहार :

3(1)- विद्युत का क्रय/विक्रय (Power Purchase/Sale) : विद्युत का क्रय-विक्रय जी0एस0टी0 में पूर्णतया कर-मुक्त (Exempted) है।

3(2)- टेण्डर फार्म की बिक्री, स्कैप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाएं :

टेण्डर फार्म की बिक्री पर वर्तमान में 5% जी0एस0टी0 लिया जाएगा। निविदा प्रपत्र की बिक्री केवल जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों को ही किया जाना है। इसी प्रकार स्कैप की बिक्री एवं निगम द्वारा अन्य पक्षों को दी जाने वाली सेवाओं पर वर्तमान में 18% जी0एस0टी0 लिया जायेगा। ज्ञात हो कि उ0 प्र0 में बिक्री/सेवाओं पर वसूले गये जी0एस0टी0 में CGST(50%) एवं SGST (50%) की देयता होगी एवं उ0 प्र0 के बाहर बिक्री/सेवाओं पर IGST(100%) की देयता होगी।

3(3)- Tax Invoice & Bill of Supply : जी0एस0टी0 नियमों के अनुसार कर-योग्य वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Tax Invoice एवं कर-मुक्त वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर Bill of Supply खण्ड/इकाई के स्तर से जारी किया जाना है। Tax Invoice एवं Bill of Supply के प्रारूप Annexure-A में संलग्न है।

आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनको प्राप्त होने वाले समस्त बीजकों में सरकार द्वारा Tax Invoice के लिए निर्धारित सभी बिन्दु होने चाहिए। Tax Invoice में जो बिन्दु अनिवार्य हैं उनकी सूची Annexure-B में संलग्न है।

4(1)- वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री/प्राप्त की जाने वाली सेवाएं : समस्त संव्यवहार केवल जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों से ही किया जाना चाहिए। वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री एवं प्राप्त की जाने वाली सेवाएं निविदा के माध्यम से **Exclusive of GST** दर प्राप्त की जानी चाहिए।

4(2)- स्थायी एवं अस्थायी अग्रदाय (PI/TI) : समस्त आहरण-वितरण अधिकारी PI/TI Holders को दिशानिर्देश जारी करेंगे कि यथासम्भव जी0एस0टी0 में रजिस्टर्ड फर्मों से ही क्रय अथवा सेवाएं प्राप्त की जायें। ऐसी स्थिति में यदि जी0एस0टी0 की देयता होगी तो उसका भुगतान बिल के साथ ही हो जायेगा, अन्यथा की स्थिति में जी0एस0टी0 के **Reverse Charge Mechanism(RCM)** के अन्तर्गत कर (जी0एस0टी0) की देयता निगम की होगी।

4(3)– **Reverse Charge Mechanism (RCM)** : ज्ञात हो कि जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर Reverse Charge Mechanism के अन्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता निगम की होगी :

- 1– वकीलों को किया जाने वाला भुगतान
- 2– Goods Transport Agency को होने वाला भुगतान
- 3– अपंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाता को होने वाले भुगतान

अतः जी0एस0टी0 के अन्तर्गत Work Contracts, Manpower Supply/Security Services, Cab सेवा इत्यादि पर RCM का प्रावधान लागू नहीं होगा।

4(4)– **Payment Voucher** : जी0एस0टी0 के RCM के अन्तर्गत किये गये भुगतानों (जिसमें अग्रिम भुगतान भी शामिल है) के लिए Payment Voucher बनाया जायेगा। Payment Voucher का प्रारूप Annexure-C में संलग्न है।

खण्ड/इकाईयाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि जारी किये जाने वाले Tax Invoice/Bill of Supply एवं Payment Voucher निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार क्रमांकित होंगे:–

- Tax Invoice- TI / (Location Code of Division) / (Financial Year) / (Invoice Number)
- Bill of Supply- BS / (Location Code of Division) / (Financial Year) / (Bill of Supply Number)
- Payment Voucher- PV / (Location Code of Division) / (Financial Year) / (Payment Voucher Number)

5– **Inter-Company Transactions** : पावर सेक्टर की विभिन्न कम्पनियों के मध्य होने वाले Inter-Company Transactions अब जी0एस0टी0 के दायरे में आएंगे। यदि एक कम्पनी दूसरी कम्पनी के लिए कोई कार्य करती है अथवा उसे कोई सामग्री भेजती है तो प्रदाता कम्पनी को प्राप्तकर्ता कम्पनी पर जी0एस0टी0 चार्ज करते हुए टैक्स इनवॉइस जारी करनी होगी। अतः यदि कोई भी Inter-Company Transactions किए जाते हैं तो उन ट्रान्जैक्शन पर लागू दर से प्रदाता कम्पनी द्वारा जी0एस0टी0 की देयता होगी। ज्ञात हो कि प्रदाता कम्पनी द्वारा चार्ज किया गया जी0एस0टी0 प्राप्तकर्ता कम्पनी के लिए इन्पुट टैक्स क्रेडिट बन जाएगा।

6- **Rates of GST** : जी0एस0टी0 के अन्तर्गत मुख्यतः 5 प्रकार की दरें निर्धारित की गयी हैं : 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। सभी इकाईयों के आहरण-वितरण अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त होने वाले बीजकों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर उचित दर से जी0एस0टी0 लगाया गया हो। GST Rates की जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है जहाँ से इसे सत्यापित/प्राप्त किया जा सकता है :

वस्तुओं हेतु:-<http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/goods-rates-booklet-03July2017.pdf>

सेवाओं हेतु:-<http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/services-booklet-03July2017.pdf>

7- **कर का भुगतान** : इकाईयों द्वारा बिक्री (यथा टेण्डर फार्म एवं स्क्रेप की बिक्री, इन्टर कम्पनी ट्रान्जैक्शन एवं निगम द्वारा अन्य को दी गयी कर-योग्य सेवाओं इत्यादि) पर वसूला गया जी0एस0टी0 (टैक्स) एवं Reverse Charge में देय जी0एस0टी0 का भुगतान आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा निगम के जी0एस0टी0आई0एन0 पर प्रतिमाह सरकार के खाते में Net banking/RTGS/NEFT के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा कराना होगा। भुगतान के पश्चात चालान की एक प्रतिलिपि मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल को प्रेषित की जाएगी।

8- **GST Return**: जी0एस0टी0 से सम्बन्धित मासिक/वार्षिक रिटर्न मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल द्वारा निम्नलिखित अनुसार फाइल किये जायेंगे :

फार्म सं०	विवरण	अन्तिम तिथि
GSTR-1	बिक्री एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Outward Supply)	अगले माह की 10 तारीख तक
GSTR-2	क्रय एवं ली जाने वाली सेवाओं का विवरण (Particulars of Inward Supply)	अगले माह की 15 तारीख तक
GSTR-3	मासिक रिटर्न (Monthly Return)	अगले माह की 20 तारीख तक
GSTR-9	वार्षिक रिटर्न (Annual Return)	अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक

उपरोक्त रिटर्न फाइल करने के लिए प्रत्येक माह के अन्त में खण्डीय स्तर से Inward/Outward Invoices का सम्पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में अगले माह की 5 तारीख तक अनिवार्यतः मुख्यालय के जी0एस0टी0 सैल में सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा, निर्धारित प्रारूप कुछ समय पश्चात मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जाएंगे।

9- जी0एस0टी0 के पूर्व की तिथि के बीजक :- 30.06.2017 की तिथि तक के सभी बीजकों का भुगतान पुराने वैट (VAT), सर्विस टैक्स (Service Tax), इत्यादि के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। साथ ही 30.06.2017 तक प्राप्त वस्तुओं एवं सेवाओं के जो बीजक जी0एस0टी0 लागू होने के 30 दिन के अन्दर (30.07.2017 तक) प्राप्त होते हैं, उनका भुगतान भी उपरोक्त कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। जो भी बीजक 01.07.2017 अथवा उसके पश्चात प्राप्त सामग्री अथवा सेवा से सम्बन्धित होंगे, उनका भुगतान जी0एस0टी0 के कानून के अन्तर्गत किया जाएगा।

पुराने अथवा नये बीजक, जिनका भुगतान 01.07.2017 को या उसके पश्चात होगा, उन पर WCT नहीं काटना है।

पुराने बीजक जिसमें सर्विस टैक्स नियमों के Reverse Charge Mechanism के अनुसार टैक्स जमा करने का दायित्व निगम का है, उन बीजकों को इस माह के अन्त तक Account for कर दिये जायें एवं कर की राशि सरकार के खाते में जमा कर रिटर्न फाइल कर दिये जाये।

10- Anti profiteering clause : CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात कर की दरों में आई कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः खण्ड/इकाई सुनिश्चित करेंगी कि पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात पूरी होगी) एवं नयी निविदाओं में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए :

“As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to UPPTCL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section.”

11- जी0एस0टी0-टी0डी0एस0 : जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। अतः इकाईयों/खण्डों द्वारा 01.07.2017 से करायें जाने वाले कार्यों के भुगतान पर फिलहाल जी0एस0टी0 टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जानी है।

12- जी0एस0टी0 से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कर सलाहकार मेसर्स धर्मेन्द्र श्रीवास्तव एण्ड एसोसिएट्स एवं जी0एस0टी0 सैल मुख्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है जिनके दूरभाष नं०, ई0मेल0 आई0डी0 निम्नलिखित है :

M/s Dharmendra Srivastava & Associates	dharmendraca2009@gmail.com	Mob No. 9839037675/ 9939495122
GST Cell Head Office	dgmtaxuppcl@gmail.com aogstuppcl@gmail.com	9415608155 9454468967

13- मुख्यालय स्थित जी0एस0टी0 सैल द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा-निर्देश निगम की वेबसाइट (www.upptcl.org) पर उपलब्ध है।

संलग्नक:-यथोपरोक्त

(प्रभाते कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 2- उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।
- 3- उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
- 4- अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ० प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:-यथोपरोक्त

(प्रभाते कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

Annexure A.2

(NAME OF COMPANY) (ADDRESS OF UNIT)		Company Logo	Tel: GSTIN:			
Bill of Supply						
Invoice No:		State:				
Date of Issue:		State Code:				
Bill to Party		Ship to Party				
Name:		Name:				
Address:		Address:				
GSTIN/UIN:		GSTIN:				
State:		State:				
		Code	Code			
Sr.No	Production Description	QTY	Rate	Amount	Discount	Value of supply
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
TOTAL		0		0		0
Total Invoice Amount (In words)						
Bank Details				Certified that the particulars given above are true and correct For (Name of Company)		
Bank A/C:						
Bank IFSC:						
Terms & Conditions		Comman Seal		Authorised Signatory		

Annexure B

GST Tax Invoice Format Rules:

Subject to rule 5, a tax invoice referred to in section 23 shall be issued by the supplier containing the following details:-

- a. name, address and GSTIN of the supplier;
- b. a consecutive serial number containing only alphabets and/or numerals, unique for a financial year;
- c. date of its issue;
- d. name, address and GSTIN/ Unique ID Number, if registered, of the recipient;
- e. name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is unregistered and where the taxable value of supply is fifty thousand rupees or more;
- f. HSN code of goods or Accounting Code of services;
- g. description of goods or services;
- h. quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;
- i. total value of goods or services;
- j. taxable value of goods or services taking into account discount or abatement, if any;
- k. rate of tax (CGST, SGST or IGST)
- l. amount of tax charged in respect of taxable goods or services (CGST, SGST or IGST);
- m. place of supply along with the name of State, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;
- n. place of delivery where the same is different from the place of supply;
- o. whether the tax is payable on reverse charge;
- p. the word "Revised Invoice" or "Supplementary Invoice", as the case may be, indicated prominently, where applicable along with the date and invoice number of the original invoice; and
- q. signature or digital signature of the supplier or his authorized representative.

Annexure C

(NAME OF COMPANY)		(ADDRESS OF UNIT)					
Company Logo		Tel:					
		GSTIN:					
Payment Voucher							
Voucher Number:		Details Of Supplier					
Voucher Date:		Name:					
Place of Supply:		Address:					
		GSTIN:					
State:	Code	State:	Code				
Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	CGST		SGST		Total Amount Paid
			Rate	Amount	Rate	Amount	
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
Total		0		0		0	0
Total Amount paid (In words)							
<small>I certify that the particulars given above are true and correct:</small> For (Name of Company) Authorised Signatory		Common Seal		Total Amount before tax		0	
				Add: CGST		0	
				Add: SGST		0	
				Total Tax Amount (GST)		0	
				Total Amount After Tax		0	